प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक

मुख्य कार्यालय-
रामगंगा बिहार फेज-2, मुरादाबाद 244001 (उ.प्र.)

Prathama U.P. GRAMIN Bank

Head office
Ram Ganga Vihar, Kanth Road, Moradabad-244001,

सार्वजनिक नीलामी द्वारा चल/अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियमानुसार) (नियम 8 (6) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) के नियमों के नियम 6 (2) के तहत)

यद्धपि प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 13(2) एवं सहपठित नियमों के अंतर्गत खातेदार को उनके सम्मुख अंकित तिथियों को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अंदर नोटिस में वर्णित राशि अदा करने की मांग की थी। ऋणी/जमानतदारों द्वारा उपरोक्त समय अवधि में राशि जमा नहीं करने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं सहपठित नियम (8) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न वर्णित खातें में उनके सम्मुख अंकित तिथि को बंधक सम्पत्तियों पर कब्जा प्राप्त कर लिया गया। इस पर भी ऋणी/जमानतदारों द्वारा राशि जमा नहीं करने के कारण निम्न सम्पत्तियों का विक्रय निविदा निमंत्रण द्वारा किया जा रहा है।

नोट- नीलामी स्थान: क्षेत्रिय कार्यालय, रामगंगा बिहार फेज-2 मुरादाबाद

क्र. सं.	शाखा का नाम	खाते का नाम/कर्जदार/जमानती	बंधक सम्पत्ति का विवरण/सम्पत्ति स्वामी	देय राशि/ मांग सूचना की तारीख	न्यूनतम रिजर्व मूल्य	अर्नेस्ट मनी/जमा करने की अंतिम तिथि	कब्जा की तारीख	नीलामी की दिनांक व समय
1	छाबड़ा	मैसर्स एसवीएस एग्री फूड प्रा0 लि0 पता:- ग्राम धनुपुरा, डाकखाना छाबड़ा, तहसील चंदौसी, सम्भल श्री विजय पाल सिंह चौहान पुत्र श्री धन पाल सिंह चौहान, (डायरेक्टर), निवासी ए-59, सेक्टर-61, नोयडा, गौतम बुद्ध नगर, श्रीमती संगीता चौहान पत्नी श्री विजय पाल सिंह चौहान (डायरेक्टर), निवासी ए-59, सेक्टर-61, नोयडा, गौतम बुद्ध नगर **गारन्टर**:- 1. श्री श्याम बाबू पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी ग्राम व डाकखाना छाबड़ा, तहसील चंदौसी, सम्भल, 2. श्री शिव कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम व डाकखाना छाबड़ा, तहसील चंदौसी, सम्भल	**सम्पत्ति 1 :- स्थित है:** भूमि नं0 4सी-जी-42, एचआईजी, शताब्दी नगर, दिल्ली रोड, मेरठ।, **कुल क्षेत्रफल**- 300.00 वर्ग मीटर, **सम्पत्ति स्वामी**- श्री विजय पाल चौहान पुत्र श्री डी.पी.एस. चौहान, **चौहददी**:- उत्तर- रोड 12 मीटर चौड़ा, दक्षिण- प्लाट सं0 जी-42/1, पूरव- रोड 24 मीटर चौड़ा, पश्चिम- प्लाट सं0 जी-81,जी-82	2,82,72,780/- दिनांक 15.12.2017 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे	सम्पत्ति सं0 (1) 27,00,000	सम्पत्ति सं0 1. 270000/- दिनांक 28.12.2022 नीलामी से पूर्व	13.09.2018	28.12.2022 समय दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक
			सम्पत्ति 2 :- व्यवसायिक सम्पत्ति, **स्थित है:** ग्राम धनुपुरा, खाता सं0 00117, खसरा सं0 144, डाकखाना छाबड़ा, तहसील चंदौसी, सम्भल, **कुल क्षेत्रफल**- 0.486 हैक्टेयर (4860 वर्ग मीटर), **सम्पत्ति स्वामी**- श्री विजय पाल सिंह चौहान पुत्र श्री धनपाल सिंह चौहान व श्रीमती संगीता चौहान पत्नी श्री विजय पाल सिंह चौहान, **चौहददी**:- उत्तर- सम्पत्ति शिशुपाल वर्तमान में सम्पत्ति मुन्नी देवी, दक्षिण- सम्पत्ति राजवीर सिंह व सत्यवीर सिंह, पूरव- चंदौसी शाहबाद रोड, पश्चिम- सम्पत्ति उमेश वर्तमान में तेजपाल सिंह		सम्पत्ति सं0 (2) 1,39,00,000	सम्पत्ति सं0 2. 1390000/- दिनांक 28.12.2022 नीलामी से पूर्व		28.12.2022 समय दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक
			सम्पत्ति 3 :- समस्त संयत्र और मशीनरी,(**Entire Plant & Machinery**) मेसर्स एसवीएस एग्री फूड प्रा0 लि0, **स्थित है**:- ग्राम धनुपुरा, डाकखाना छाबड़ा, तहसील चंदौसी जिला सम्भल	3,38,05,290/- दिनांक 23.10.2018 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे	सम्पत्ति सं0 (3) 68 लाख	सम्पत्ति सं0 (3) 680000/- दिनांक 28.12.2022 नीलामी से पूर्व	28.06.2019	28.12.2022 समय दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक

सम्पत्ति का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है।

नीलामी की नियम व शर्ते- 1. नीलामी के समय बोलीदाता को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत बयाना राशि के लिये ड्राफ्ट/पे-आर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी जो प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक के पक्ष में देय हो, बोली से पूर्व जमा करना अनिवार्य है। 2. बोलीदाता को अपना पहचान पत्र/आधार कार्ड/पेन कार्ड साथ लाना होगा। बोलीदाता की बोली स्वीकार होते ही नीलामी बोली का 25 प्रतिशत राशि का ड्राफ्ट/पे-आर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी तुरन्त जमा करना होगा तथा शेष राशि 15 दिन के अंदर जमा करनी होगी अन्यथा पूर्व में जमा राशि जब्त कर ली जायेगी। 3. उपरोक्त सम्पत्तियों का विक्रय **'जहां है जैसा है'** के आधार पर किया जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कारण दर्शाए किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 4. असफल बोलीदाता के ड्राफ्ट/पे-आर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी नीलाम सम्पत्ति के बाद उसी दिन बिना ब्याज के वापस कर दिये जायेगें। 5. हस्तांतरण सम्बंधी खर्चे जैसे स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क इत्यादि सभी विधि समस्त खर्चे सफल बोलीदाताओं द्वारा वहन किये जायेगें। 6. सम्पत्ति पर समस्त सरकारी करो व देयताओं की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। 7. अन्य जानकारी हेतु उपरोक्त पते पर किसी भी कार्य दिवस में ली जा सकती है, **शाखा छाबड़ा** से सम्पर्क करें। 8. नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी तथा बोलीदाता दस हजार के गुणांक में अपने प्रस्ताव में सुधार करेंगे, नीलामी बंद होने पर उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जायेगा। 9. यदि ऋणि नीलामी की तारीख से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण बकाया राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद कर दी जायेगी। 10. यह नोटिस कर्जदार और जमानतदार को 30 दिन का नोटिस पढ़ा जाये।

दिनांक:- 26.11.2022,
स्थान- मुरादाबाद/नोएडा/मेरठ

प्राधिकृत अधिकारी
प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक